

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक 1732

30-विभाग / अगस्त 2024-25

खण्ड विकास अधिकारी,

मंगोलीहाट।

दिनांक 26 अक्टूबर 2024

- माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र मंगोलीहाट की विधायक निधि वर्ष 2024-25 में निम्न योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं। जिसकी कार्यवाही संसद अधिनियम 195 के अन्तर्गत करना है कि जिस योजना के आगमन/कोटेशन/टेंडर प्रक्रिया/सुनियोजित चार्ट इस कार्यवाही के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये ताकि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त आपको योजनाओं की धनराशि अमुकवत की जा सके। इस सम्बन्ध में सहित, राज्य विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 537 XI 2024-25/2024 दिनांक 23.07.2024 में प्रकाशित निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- सम्बन्धित कार्यवाही संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी कि न्यूनतम मूल्य व सतुपजनक दिशिष्टताओं की सामग्री ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमवली 2017 के अनुसार क्रय की जायगी। सामग्री क्रय क्रम में पूर्ण सामग्री के मूल्य व गुणवत्ता का बाजार सर्वे करते हुए पूर्ण रूप से सम्पुष्ट होने पर ही कोटेशन/सुलनात्वाक चार्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि सामग्री क्रय उपरान्त बचत शेष होती है, तो इस कार्यलय को उपलब्ध कराना ताकि तदनुसार नए विद्युत के आगमन कराना जा सके।
- निर्माण कार्य में समय-समय पर अग्र अभियन्ता तथा सहाय अग्रिओ द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाय।
- अथवा यह भी अवगत करना है कि वर्ष 2017-18 के उपरान्त विधायक निधि के अन्तर्गत समस्त कार्य की Geotagging कराई जानी अनिवार्य है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकृति कार्य उसी वर्ष में पूर्ण कराये जाने आवश्यक है। वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण न होने पर अथवा धनराशि स्वेम होने पर कार्यवाही संस्था की जिम्मेदारी होगी।
- अशासकीय विद्यालयों में विद्यालयी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति भी आगमन के साथ प्रस्तुत करे।
- कार्यवाही संस्था को भी सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य हेतु किया अन्य मंत्र से अनिवार्य स्वाकृत नहीं है।
- अ0जा0/ज0जा0 हेतु स्वीकृत कार्य अ0जा0/ज0जा0 बस्ती में ही कराये जाय तथा अ0जा0/ज0जा0 बस्ती निवास का प्रमाण पत्र भी आगमन के साथ प्रस्तुत किया जाय।
- योजना में विवाद/कार्य विलम्ब होने की स्थिति में तत्काल अग्रोहस्ताक्षरी को अवगत कराना होगा।
- योजना प्रस्ताव करन में पूर्ण का फोटोग्राफ या सम्बन्धित कर्मचारों की उपस्थिति में किया गया है। आगमन के साथ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।
- योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में ध्वस्तगत भूमि में न किया जाये।
- आगमन संबंधित उक्त कार्य सम्पुष्ट होने की स्थिति में कार्यवाही के सुनिश्चित करने के अन्तर्गत आगमन के प्रमाणित प्रति (वित्तक यह प्रमाणित ही कार्य की उक्त निर्माण कार्य निजी भूमि पर नहीं किया जा रहा है) भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर।
- कार्य प्रारम्भ करन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पर द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्ण में किया अन्य योजना/विभाग द्वारा पर कार्य नहीं कराया गया है/कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि बाणन पंथित की जाय तथा योजना प्रति व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है ता निर्माण कार्य सम्पुष्ट न किया जाय।
- विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्य में किसी भी प्रकार का क्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा तत्पर सर्वे कर में सुपुष्टता/रख-रखाव इत्यादि उरजा विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में रासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने की सम्पुष्ट जिम्मेदारी कार्यवाही संस्था की होगी।


क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य का नाम	विकास खण्ड	मात्राकृत योजना	वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू०	गा० विधायक द्वारा संस्तुत कार्यवाही संस्था
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम तानागोली में हरज्यु मन्दिर सौन्दर्यीकरण का कार्य।	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड मंगोलीहाट
2	ग्राम नानागोली में चौरपाल मोटरमार्ग के डाना तक से दरपान सिंह के घर की ओर जाने वाले सार्वजनिक सौ०सी० मार्ग निर्माण कार्य	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड मंगोलीहाट
3	ग्राम पंचायत सुरखाल के लोक मंदिर में सार्वजनिक भवन का अवशेष निर्माण कार्य	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	1.00	विकास खण्ड मंगोलीहाट
4	ग्राम पंचायत चाख में बोराणी में महोत्सव आयोजन	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	1.00	विकास खण्ड मंगोलीहाट
5	ग्राम पंचायत पोरखरी में रामलीला मंच के पास कौंगल स्थल निर्माण कार्य	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड मंगोलीहाट
6	ग्राम पंचायत उपराडा के सुनार गांव में श्री मडकेश्वर महादेव में गैलरिस्थल का निर्माण कार्य	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	1.00	विकास खण्ड मंगोलीहाट
7	ग्राम पंचायत कोठेरा में कौबन कोठारी के घर से मुमुकाधारी तक सौ०सी० मार्ग निर्माण कार्य	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	1.00	विकास खण्ड मंगोलीहाट
8	ग्राम पंचायत मण्डारी गांव में बाटागाडा से पारादिगौर की ओर सीलिंग एवं सौ०सी० निर्माण कार्य	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड मंगोलीहाट
9	ग्राम पंचायत मण्डारी में हरज्यु मन्दिर सौन्दर्यीकरण	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	1.00	विकास खण्ड मंगोलीहाट
10	ग्राम पंचायत कोठेरा में हरज्यु मन्दिर के पास सार्वजनिक भवन निर्माण	मंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड मंगोलीहाट



38	एक एकल शिप्ट में तीन या 4 घंटे का काम करे	नियमित	अधिका	2024-25	1.50	दरमा राशि
39	एक एकल शिप्ट में एक या 2 घंटे का काम करे	नियमित	अधिका	2024-25	2.00	दरमा राशि
40	एक एकल शिप्ट में तीन घंटे का काम करे	नियमित	सामान्य	2024-25	2.00	दरमा राशि
41	नियमित में एक या दो घंटे का काम करे जो कि अतिरिक्त काम करे	नियमित	सामान्य	2024-25	2.00	दरमा राशि
42	एक एकल शिप्ट में एक या दो घंटे का काम करे जो कि अतिरिक्त काम करे	नियमित	सामान्य	2024-25	1.00	दरमा राशि
43	एक एकल शिप्ट में एक या दो घंटे का काम करे जो कि अतिरिक्त काम करे	नियमित	अधिका	2024-25	1.50	दरमा राशि
44	नियमित में एक या दो घंटे का काम करे जो कि अतिरिक्त काम करे	नियमित	सामान्य	2024-25	1.50	दरमा राशि
45	एक एकल शिप्ट में एक या दो घंटे का काम करे जो कि अतिरिक्त काम करे	नियमित	सामान्य	2024-25	1.00	दरमा राशि
					<b>70.00</b>	

कुल  
 ध्यान दें - उपरोक्त दरमा राशि में अतिरिक्त काम करे का दरमा राशि भी शामिल है।  
 2. अतिरिक्त काम करे का दरमा राशि भी शामिल है।

टीका - एक एकल शिप्ट में एक या दो घंटे का काम करे

30/-  
 एक एकल शिप्ट  
 में एक या दो घंटे का काम करे  
 (दरमा राशि)  
  
 एक एकल शिप्ट  
 में एक या दो घंटे का काम करे  
 (दरमा राशि)

